न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अश्विन के. पंवार (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील 02 / 2023

अपीलार्थी–	**बनाम**	**उत्तरदातागण–**
1. हेमाराम पुत्र तुलसाराम, उम्र 65 वर्ष, जाति जाट, 2. मूलाराम पुत्र रूगनाथराम, उम्र 80 वर्ष, जाति जाट निवासी सियागों की ढ़ाणी, माडपुरा बरवाला तहसील बायतु, जिला बालोतरा		1. तहसीलदार, बायतु 2. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई. शाखा कवास जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध नामांतरकरण संख्या 120 स्वीकृत दिनांक 05.06.2017 तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री गणेश कुमार गोदारा अपीलान्टगण की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार बायतु उपस्थित।

–ःनिर्णयः–

दिनांकः– 13/08/2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आदेश नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 05.06.2017 तहसीलदार बायतु के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील में संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलांटगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 700, 701, 702 व 703 संयुक्त रकबा 82.15 बीघा भूमि मौजा सियागों की ढ़ाणी पटवार हल्का माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बालोतरा में आयी हुई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

3. अपीलांटगण की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मूल पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांटगण ने अवगत कराया कि अपीलांटगण के वादग्रस्त खेतों को मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व किये गये बाहामी बंटवाड़ा अनुसार विभाजित करने व पक्षकारान का पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करवाने हेतु सहमति से बंटवाड़ा करवाना चाहा, जिस पर हल्का पटवारी ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत किया। हल्का पटवारी द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार सही तैयार किया गया और तहसीलदार बायतु ने भी सही विभाजन आदेश पारित किया। जिसकी पालना में नामान्तरकरण स्वीकृती हेतु हल्का पटवारी को आदेश किया गया था। नामान्तरकरण दर्ज करने के दौरान हल्का पटवारी की लिपिकीय त्रुटि के कारण विभाजन प्रस्ताव का राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज को गया। इस त्रुटि की जानकारी अपीलांटगण को सीमाज्ञान करवाने हेतु हल्का पटवारी से नक्शा प्राप्त करने के दौरान हुई। जिस पर अपीलांटगण ने यह अपील न्यायालय में पेश की।

5. अधिवक्ता अपीलांटगण द्वारा उक्त तथ्य पेश करने पर विवादित भूमि की मौका स्थिति के संबंध में तहसीलदार बायतु से वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार बायतु द्वारा अवगत कराया गया कि खातेदार हेमाराम व अन्य ने ग्राम सियागों की ढ़ाणी के खेत खसरा संख्या 700, 701, 702 व 703 रकबा क्रमशः 01.00, 01.00, 0.19 व 79.16 बीघा कुल 82.15 बीघा का सहमति विभाजन न्याय आपके द्वार अभियान में प्रस्तुत किया गया था, जिसका आदेश कार्यालय तहसीलदार बायतु के पत्रांक – भू. अ./2017/05 दिनांक 05.06.2017 के द्वारा जारी किया गया। तत्पश्चात हल्का पटवारी ने उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 05.06.2017 को दायर किया। उक्त नामान्तरकरण को दायर करते

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

समय पटवारी हल्का द्वारा सहमति-विभाजन में नये खसरा संख्या देते समय गलत नम्बर अंकन करने से हेमाराम के हिस्से में दी गई भूमि मूलाराम के नाम एवं मूलाराम के हिस्से की भूमि हेमाराम के नाम दर्ज हो गई। इसलिए ग्राम सियागों की ढाणी के विभाजन में अंकित खसरा संख्या नक्शे में खसरा संख्या 786/703 के स्थान पर 703 एवं खसरा संख्या 703 के स्थान पर खसरा संख्या 786/703 अंकित करने से रेकर्ड की स्थिति विभाजन आदेश अनुसार हो जायेगी। जिस पर तहसीलदार बायतु द्वारा शुद्धिकरण किये जाने की अनुशंषा भी की गई।

6. हमने अपीलांटगण के अपील मीमो में उल्लेखित आधारों एवं अधिवक्ता अपीलांटगण के तथ्यों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति विभाजन तो मौके पर कब्जा काश्त स्थिति अनुसार सही है, परंतु राजस्व रेकर्ड में इंद्राज गलत हो रखा है। ऐसी सूरत में अपीलांटगण की अपील का निस्तारण किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। लिहाजा अपीलांटगण की अपील अन्दर मयाद सुमार कर स्वीकार की जाकर तहसीलदार बायतु के आदेश नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 05.06.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार बायतु द्वारा पारित विभाजन आदेश क्रमांक – राजस्व/2017/05 दिनांक 05.06.2017 अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न करावें।

निर्णय आज दिनांक 13/08/2024 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

(नानू राम सैनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा